

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./ 1-ए-वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 863 / कैम्प / प्राधि. बैठक (नामित) / टीसीपी / 2025-26 दिनांक: 30 जुलाई, 2025

सेवा,

सचिव,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:- परिचालन के माध्यम से बोर्ड बैठक में प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-219/नियोजन/2025, दिनांक 16.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भवन उपविधि से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों के अवक्रमित करते हुए एवं उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन-2025 लागू किये जाने हेतु परिचालन पद्धति के माध्यम से मा0 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रतिनिधि नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, मेरठ को नामित किया जाता है।

भवदीय



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

पत्रांक दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि-श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश,

टी.सी.जी./1-ए-वी 5, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-226010

पत्रांक: 863 / कैम्प / प्राधि.बैठक(नामित) / टीसीपी / 2025-26 दिनांक: 30 जुलाई, 2025

सेवा,

सचिव,

गाजियाबाद विकास प्राधिकरण,

गाजियाबाद।

विषय:— परिचालन के माध्यम से बोर्ड बैठक में प्रतिनिधि नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या-219/नया0अनु0/2025, दिनांक 16.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा भवन उपविधि से सम्बन्धित पूर्व शासनादेशों के अवक्रमित करते हुए एवं उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण भवन निर्माण एवं विकास उपविधियाँ तथा आदर्श जोनिंग रेगुलेशन्स-2025 लागू किये जाने हेतु परिचालन पद्धति के माध्यम से मा0 प्राधिकरण बोर्ड के अनुमोदन हेतु प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने हेतु प्रतिनिधि नामित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी के प्रतिनिधि के रूप में श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, मेरठ को नामित किया जाता है।

भवदीय,

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।

पत्रांक दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि—श्री कृष्ण मोहन, सहयुक्त नियोजक, सम्भागीय नियोजन खण्ड, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(अनिल कुमार मिश्र)

मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक।